तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अपील/एल.आर./3054/2006/करौली

हरफूल बनाम सरकार

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एकलपीठ

श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित

श्री एन.के. गोयल, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण

श्री शैलेन्द्र राणा, उप राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थी सं01

आदेश

दिनांक 21.02.2018

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर पारित निर्णय दिनांक 31-03-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अपीलार्थीगण के पिता रामहेत को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा आराजी खसरानम्बर 2810 रकबा 10बीघा भूमि का आवंटन किया गया। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु आम जनता जरिये रामकुवार व परसादी की ओर से जिला कलक्टर के समक्ष प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14(4) का प्रस्तुत किया गया। जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 9-1-2001 प्रार्थनापत्र को आंशिक रूप से स्वीकार किया गया। जिला कलक्टर द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध शिकायतकर्ता अर्थात् आम जनता जरिये रामकुमार व परसादी की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 31-3-2006 से खारिज कर दी। अपीलार्थीगण की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाईमाधोपुर द्वारा पारित निर्णय

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./3054/2006/करौली हरफूल बनाम सरकार	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक 31-03-2006 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थीगण की ओर से जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी के न्यायालय नहीं की गयी थी। अपीलार्थीगण ने राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत सीधे ही द्वितीय अपील प्रस्तुत कर जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय को आक्षेपित किया गया है, जो प्रावधित प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में संधारण योग्य नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील संधारण योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है। निर्णय प्रति नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	